



दिनांक: 50/11/2006

आदेश

उपरोक्त इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, मेरठ काईएमएस.26 नईल स्टोन, एन0एच0-24, गाजियाबाद को संयुक्त राज्य सरकार द्वारा स्थापित स्तर पर शिक्षा संकाय के अंतर्गत पाठ्यक्रम के 100 छात्रों की प्रवेश क्षमता के साथ 30प्र0 संयुक्त राज्य अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) के "परन्तु" के अंतर्गत 2005-06 से पाठ्य वर्ष की अवधि हेतु सम्बद्धता को प्रदान की गयी थी।

संयुक्त राज्य में कि मुख्य सचिव, 30प्र0 शासन के पत्र संख्या 70-2-2004-3(19)/2004 दिनांक 4-1-2005 के अंतर्गत, मेरठ कण्डल द्वारा संस्था की जांच करायी गयी। संस्था में पायी गयी कमियों/अनियमितताओं को दृष्टिगत रखते हुए संयुक्त राज्य सरकार द्वारा उक्त संस्था की सम्बद्धता 30प्र0 राज्य अधिनियम, 1973 की धारा-37(9) के अन्तर्गत समाप्त कर दिया गया। संस्था एवं विश्वविद्यालय द्वारा संस्था के संयुक्त विचारोपरान्त आदेश संख्या: ई0स0-432/2006 दिनांक 23-3-2006 के द्वारा संस्था को वी0एड0 पाठ्यक्रम 2005-06 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने की पूर्व अनुज्ञा प्रदान की गयी।

विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित की गयी नवीनतम आख्या दिनांक 23-3-2006 के दृष्टिगत रखते हुए संयुक्त विचारोपरान्त आदेश संख्या ई0स0-432/जी.ए.ए. दिनांक 23-3-2006 जिसके द्वारा संस्था को वी0एड0 पाठ्यक्रम में शिक्षण सत्र 2005-06 से सम्बद्धता प्रदान करने हेतु पूर्व अनुज्ञा प्रदान नहीं की गयी थी, को निरस्त कर दिया गया है तथा 30प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-37(9) के अंतर्गत संस्था को वी0एड0 पाठ्यक्रम 2005-06 से सम्बद्धता प्रदान करने की पूर्व अनुज्ञा प्रदान नहीं की गयी थी।

Registrar
Shri Manmath Singh University
Meerut

Principal
Hi-Tech Institute of Engrg. & Tech.
166, Hamir-Dobhi, Ghaziabad (UP)-201 008